



चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2. महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3. बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवैसी रखते

हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगों से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनांक 17.05.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूषकांत राय द्वारा थाना मानिकपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर, महिला हेल्पडेस्क, साइबर हेल्प डेस्क, थाना कार्यालय, मालखाना व हवालात का निरीक्षण कर प्रभारी बहिलपुरवा को रजिस्ट्रों के अध्यावधिक करने, जनसुनवाई में त्वरित कार्यवाही, विवेचना, वारण्टी/वांछित आदि की गिरफ्तारी एवं साफ सफाई, बिजली, पानी, शौचालय आदि को ठीक कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये साथ ही साथ रिक्कूट आरक्षियों के प्रशिक्षण रजिस्टर को चेक किया गया।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 10 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(1). प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री अजीत कुमार पाण्डेय मय हमराह रि०आ० अभिषेक पटेल मय चालक हे०का० सज्जन कुमार द्वारा अ०सं० 116/24 धारा 504/506 भादवि० के वारण्टी अभियुक्त 1. किरपाली उम्र 57 वर्ष पुत्र स्व० रामकुमार व अ०सं० 116/24 धारा 323/504/506 भादवि० के वारण्टी अभियुक्त 2. सुनील पुत्र किरपाली व अ०सं० 117/24 धारा 504/506 भादवि के वारण्टी अभियुक्त 3. अनिल रैदास पुत्र बबुली निवासी गणपेट्रोल पम्प के पीछे ग्राम सैरैया थाना मानिकपुर, चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(2). उ०नि० श्री शम्भूशरण सिंह थाना मानिकपुर मय हमराह का० अजीजउद्दीन द्वारा अ०सं० 89/2024 धारा 379/411/413 भादवि के वारण्टी अभियुक्त मनोज कुमार वर्मा पुत्र जवाहर लाल उर्फ ललुवा 2. मइयादीन उर्फ चुनके पुत्र स्व० रामजियावन रैदास निवासी गम कुबरी रानीपुर थाना मानिकपुर, चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(3). उ०नि० श्री गौरव तिवारी थाना मानिकपुर व उ०नि० बीरेन्द्र सिंह मय हमराह हे का० अशोक कुमार शर्मा, रि०का० अनूप कुमार, रि०का० सतीश यादव द्वारा मु०नं० 72/25 अ०सं० 174/25 धारा 13 जुआ अधि० के वारण्टी अभियुक्त 1. छोटू सोनकर पुत्र देशराज सोनकर 2. कुलदीप पुत्र भुजवल सोनकर निवासी गण इन्द्रानगर थाना मानिकपुर, चित्रकूट व मु०नं० 4833/24 धारा 138 एनआई एक्ट के वारण्टी 3. अभियुक्त संतोष कुमार पुत्र राजाराम निवासी महावीर नगर कस्बा व थाना मानिकपुर, चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(4). उ०नि० श्री अरविन्द कुमार मय का० अमित तिवारी द्वारा मु०अ०सं० 38/23 धारा 323,504,506 भादवि० के वारण्टी अभियुक्त सन्दीप पुत्र कन्हैया लाल निवासी बम्भिया थाना मारकुम्डी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(5). उ०नि० श्री अखिलेश यादव मय हमराह रि० आरक्षी प्रीतक, रि० आरक्षी आदित्य, होगा० ज्ञान सिंह मय चालक पीआरडी जीत नारायण द्वारा मु०सं० 669/19 धारा 324/323/504/506 भादवि० के वारण्टी अभियुक्त राजा सिंह पुत्र मुंशी सिंह निवासी भखरवार थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।